"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

रायपुर, बुधवार, विनांक 23 सितम्बर 2015- आस्विन 1, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 ासतम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2009 द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उत्लेखित प्रावधान अनुसार नगर पंचायत, विश्रामपुरी का गठन किया गया था.

 राज्य शासन एतव्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत, विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, दिनांक 21-09-2015 का आंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्रारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st September 2015

NOTIFICATION

No. F 1-40/2009/18. — By the departments Notification Dated 22-12-2009 in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) Nagar Panchayat, Visharampuri was constituted.

 In excercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5-A of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961) The State Government hereby decompose Nagar Panchayat, Visharampuri with the immediate effect.

> By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुत्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारणं) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451-ब]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015- भाद्रपद 5, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नगर पंचायत विश्रामपुरी में सम्मिलित ग्राम जीर्रापारा, खरगांव, बीरापारा एवं फरसाडीह की सीमा को नगर पंचायत विश्रामपुरी की सीमा से पृथक करता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अगरत 2015

क्रमांक एफ 1-40/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, दिनांक 27-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27th August 2015

NOTIFICATION

No. F. 1-40/2009/18. — In exercise of the powers conferred by section 5-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1996 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby denotify the limits of village Decrapara, Khargaon, Beerapara and Farsadih from the existing limits of Nagar Panchayat Vishrampuri.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 1TENDRA SHUKLA, Joint Secretary.



कार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

// ज्ञापन//

क्रमांक / 01 / अ-3 / 2015-16 प्रति.

कोण्डागांव, दिनांक 13.04.2016

सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रवंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर.


विषय :- ग्राम विश्रामपुरी तहसील बड़ेराजपुर जिला कोण्डागांव के पारा/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला कोण्डागांव अनुभाग केशकाल तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम विश्रामपुरी में नगर पंचायत विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव द्वारा परिषद् बैठक दिनांक 13.07.2015 को विशेष सम्मेलन आयोजित कर नगर पंचायत विश्रामपुरी को 04 ग्राम पंचायतों में नियमानुसार गठन किये जाने का निर्णय सर्व सम्मित से पारित किया गया है, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 474 रायपुर, बुधवार, दिनांक 23.09.2015 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, के अधिसूचना कमांक एफ 1–40/2009/18, रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5–क की उपधारा (1) में प्रदत्त शवितयों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित किये जाने के फलस्वरूप नायव तहसीलदार बड़ेराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशकाल से ग्राम विश्रामपुरी को 07 ग्रामों में विभाजन किए जाने की अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शवितयों को प्रयोग में लाते हुए जिला कोण्डागांव तहसील बड़ेराजपुर के प0ह0नं0 03 विश्रामपुरी के ग्राम विश्रामपुरी को विभाजित कर 07 राजस्व ग्राम घोषित किए जाने वाबत् अधिसूचना जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित् है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसारः ।

कर्मक्टेरे, कर्मक्टेरे, रिजला कोण्डागांव

		कोण्डागांव,	टिनांक	13 04 2016
	01/31-3/2015-16	प्राण्डानाप,	4.114	1010 1120 12
प्रतिलिपि:	0 0	mere form	भारिम ज	पति कल्याण
1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्र	विशासन विमाग/	ज्ञापन ०	1
	विभाग / वन विभाग रायपुर की ओ	र सूचनाथ सापर) ਆਲਾਜ਼ ਹਵਾ ਹਿਹਾ	। जिस्ती और
2.	आयुक्त, आदिम जाति कल्याण वि	भाग / भू—आमल	खि, रावर्	ic an one
3.	सूचनाथ सादर सम्प्रापत्। संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर की	आर सूचनाथ ए	व आपरव	क कानवाल
	भेता ।			
4.	७५। आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की	विशेष सूचनाथ	सादर सन्	1140 1
5.	चन चालाचा चाच कांक्रेस की शोर स	ननाथ एवं आवर	खक कान	वाल एपुन
6.	याच्या जनमाना श्रीक्षेत्री रिपल	ि प्रचायत / प्रन	4 CHICA	41/11/ 01/11
	वनमण्डल / राहायक आयुक्त, आ	दिवासा ।वकास	काण्डाग	विका आर
	या गार्च पान्यकार कार्यित है	रता ।		
7.	प्रभारी अधिकारी, भूअभिलेख शाखा	, जिला कायाल	य काण्डा	lid di ouz
**************************************	सूचनार्थ एवं आवश्कयक कार्यवाही है	हेतु ।	,	- extractic
8.	सूचनार्थ एवं आवश्कयक कार्यवाही है अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशक	ाल की ओर र	रूचनाथ ःए	व आवश्यक
9.	तहसीलंधार, बड़ेराजपुर की ओर सूच	ानार्थ एवं आवश्य	क कायव	हा हतु।
O.			0	John John
	*		1334	10/2/2
			17/0	100
		5	न्लंबर्टर,	, .
		2 जिल	ा कोण्डाग	वि



कार्यालय कलेक्टर एवं बन्दोबस्त अधिकारी, जिला कोण्डागाव (छत्तीसगढ़) //अधिसूचना//

कोण्डागांव, दिनांक 13 /04/2016

क्रमांक 01/3-3/2015-16 — यतः जिला कोण्डागांव अनुभाग केशकाल तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम विश्रामपुरी में नगर पंचायत विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव द्वारा परिषद् बैठक दिनांक 13.07.2015 को विशेष सम्मेलन आयोजित कर नगर पंचायत विश्रामपुरी को 04 ग्राम पंचायतों में नियमानुसार गठन किये जाने का निर्णय सर्व सम्मित से पारित किया गया है, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 474 रायपुर, बुधवार, दिनांक 23.09.2015 के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2009/18, रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत विश्रामपुरी को तत्काल प्रभाव से विघटित किये जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार बड़ेराजपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) केशकाल से ग्राम विश्रामपुरी को 07 ग्रामों में विभाजन किए जाने की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–137/सात–1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपिटत धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित पारा/टोला इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :--

स.	ग्राम का नाम	ग्राम में	ग्राम का कुल	ग्राम सीमाएं	पटवारी .	तहसील	जिला
क्र.		सम्मिलित पारी	रकवा (हेक्टेयर में)		हल्का		
		टोला का नाम	(हयटयर म)		नंबर		
						8	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1				उत्तर– रोगाडिही		0	
		1. आमाडिही 2. डिहीपारा	1459.755	दक्षिण—			×
	विश्रामपुरी—अ	3. आयपुरिडही	1 107.733	विश्रामपुरी(बांघपारा)—ब	03	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
		4. जंगलेपारा	(6)	पूर्व - पेन्ड्रावन, पिटेचुवा	विश्रामपुरी		कान्डानाट
-	1			पश्चिम ें खरगांव			

Alasky Miller

	विश्रामपुरी (बांघपारा)—व	1. कुम्हारपारा 2. बांधपारा 3. शिवमंदिरपारा	70.877	उत्तर- विश्रामपुरी-अ दक्षिण- फरसाडिही पूर्व - पेन्ड्रावन पश्चिम- वीरापारा	03 विश्रामपुरी	बङ्गेराजपुर	कोण्डागांव
1 3	खरगांव	1. खरगांव 2. पुजारीपारा	276.035	उत्तर— आमागुहान दक्षिण— बीरापारा पूर्व — विश्रामपुरी—अ पश्चिम— जिर्रापारा	03 विशामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागाव
4	जिर्रापारा	1. जिर्रापारा 2. रावनागुड़ा	236.741	उत्तर— आमागुहान दक्षिण— बीरापारा पूर्व — खरगांव पश्चिम— कोरोहबेड़ा	ं . 03 विश्रामपुरी	बङ्गेराजपुर	कोण्डागांव
5.	फरसाडिही	1. फरसाडिही 2. बावनपुरी	428.033	उत्तर— विश्रामपुरी (बांधपारा)—ब दक्षिण— खजरावंड पूर्व — भैनपुरी, होनावंडी पश्चिम— सोनपुर	03 विश्रामपुरी	बड़ेराजपुर	कोण्डागांव
6	बीरापारा	 बीरापारा गरांजीडिही डिहीपारा मुण्डापारा हल्बापारा 		उत्तर— खरगांव, जिर्रापारा दक्षिण— फरसाडिही पूर्व — विश्रामपुरी (बांधपारा)—ब, विश्रामपुरी—अ	. 03 विश्रामपुरी	बङ्गेराजपुर	कोण्डागांव

/21/2016 ...

रोगाडिही	1. रोगाडिरी	67.230	उत्तर- खल्लारी दक्षिण- विश्रागपुरी-अ पूर्व - पिटेचुवा	03 विश्रामपुरी	बङ्गेराजपुर	कोण्डागांव
		-	पश्चिम— खरगांव			



कलेवटर एवं बंदोवस्त अधिकारी, भेजिला कोण्डागांव (छ.ग.)

fice of the Collector & Settelment Officer, District Kondagaon (C.G.)

//NOTIFICATION//

Kondagaon dated, 13/04/2016

No. 01 / A-3/2015-16 Whereas, the Resolution of division of Nagar Panchayat Vishrampuri, Tehsil-Baderajpur, Sub Division - Keshkal District- Kondagaon, into 4 Gram Panchayats has been passed through Special meeting of Parishad dated 13-07-2015. The Urban Administration and Development department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur as per the Chhattisgarh Gazette Notification No 474, Raipur, dated 23.09.2015 Wednesday, in its department notification No. F 1 - 40/2009/18 Raipur, dated 21.09.2015, ir exercise of its powers conferred by sub section (1) of Section 5-A of Chhattisgarl Muncipality Act 1961 (No. 37 of 1961) decided to decompose Nagar Panchayat Vishrampur with immediate effect. In lieu of this order, the Nayab Tehsildar, Baderajpur and SDC (Revenue) Keshkal has recommended the division of Gram Vishrampuri into 7 villages.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven 1/2013 dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Lan Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating t

constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgar Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that Para/Tola's shown i column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification namely :-

S. No.	Name of village	"Para"/"Tolas" included in village	Total Area of village (in	Boundaries of village	Patwari Halka Number	Tahsil	District
(1)	(2) Vishrampuri-A	(3) 1- Aamadihi 2- Dihipara 3- Aaypurdihi 4- Jangalpara	hectare) (4) 1459.755	North - Rogadihi South - Vishrampuri (Bandhpara)-B East- Pendravan, Pitechuva West - Khargaon	(6) 03 Vishrampuri	(7) Vishram puri	(8) Kondaga

	1	2 10 7	-	- Particular		The state of the same	
	Commpuri	1- Kumharpara	70.877		03	Vishram	Kondagaos
	(Bandhpara)-B	2. Bandhpara		North - Vishrampuri-A	Vishrampuri	purl	
		3- Shivmandir Para	1	South - Pharsadihi			=
		Tana		Journ - A maissanna	1		E
	2.80			East- Pendravan		4	
<i>(</i>	1.65	•					
8 .		-		West - Birapara			
	ţ.			*		and the second second second second	
	Khargaon	1- Khargaon	276.035		03	Vishram	Kond (gaon
3	Kaargaon	2- Pujaripara		North - Aamaguhan	Vishrampuri	puri	
				South - Birapara			
		. 8		South - Drapara			
1		8		East- Vishrampuri-A			
-		.s * "	1 1 1	7		1	
	***			West - Jirrapara			
						N' di mana	Kordagaon
1	time and an	1- Jirrapara	236.741	- Landon	00	Vishram puri	Korungan
.;	Jirrapara	2- Ravnaguda	1 1	North - Aamaguhan	Y ISMI Marparis	1	
	0.5		F 1.	South - Birapara			
9		1					
				East- Khargaon			
				West - Korohbeda			
		-					
			100 022		03	Vishram	Kondagaan
1	Pharsadihi	1- Pharsadihi 2- Bayanpuri	428.033	North - Vishrampuri		puri	
		2- Bavanpuri		(Bandhpara)-B			
	1			South - Khajrawand	Î		
				Boutti - Akingtanaa			
	1			East- Mainpuri,		į	
				Honawandi			
				West - Sonpur		ļ	
			1 :				
6	Birapara	1- Birapara	729.512	1		Vishram	Kondagaou
		2- Garanjidihi	==	North - Khargaon, Jirrapara	Vishrampuri	puel	
		3- Dihipara 4- Mundapara					
		5- Halbapara					
				South - Pharsadihi			
					8 _		
				East- Vishrampuri			
			· .	(Bandhpara)-B,		. [
			* 1	Vishrampurl-A			
			1	West - Kongern			
							35 mg = 1111 mg = 1

Harry July

		(0.020)		03	Vishram	Kondagaor
Rogadihi	Rogadihi	67.230	North - Khallari	Vishrampuri	puri	
	2		South - Vishrampuri-A			
		×	East- Pitechuva			
		8.1	West - Khargaon			
13						
		-			0 /	1,6



Collector & Settlement Officer,
2 District Kondagaon (C.G.)